भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3420
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 16 दिसंबर, 2024
25 अग्रहायण,1946 (शक)

एएसआई द्वारा किलों का संरक्षण

3420. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) अपने अनुरक्षण के अंतर्गत मानव निर्मित या प्राकृतिक कारकों के कारण किलों की स्थिति में क्षरण, यदि कोई है, का पता लगाने के लिए नियमित आधार पर उनका दस्तावेजीकरण करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य में एएसआई द्वारा समय पर किए गए संरक्षण उपायों के परिणामस्वरूप संरक्षित किये परिरक्षण की अच्छी स्थिति में हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एएसआई द्वारा पर्यटकों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए इन किलों के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किलों सहित 3698 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की देखभाल और रख-रखाव पर्याप्त दस्तावेजीकरण के साथ किया जाता है। मानव निर्मित अथवा प्राकृतिक कारकों के कारण होने वाले किसी क्षरण अथवा कटाव का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तकनीकी अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर स्मारकों की निगरानी की जाती है और स्मारकों का संरक्षण कार्य राष्ट्रीय संरक्षण नीति के अनुसार किया जाता है।

(ग) और (घ): महाराष्ट्र राज्य में 47 किलों का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है और सभी भली-भांति परिरक्षित हैं।

(ङ): स्मारकों/स्थलों की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सभी आवश्यक संरक्षण और विकास कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पर्यटकों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए शौचालय ब्लॉक, रास्ते, पेयजल सुविधा, प्रदीप्तिकरण, सांस्कृतिक नोटिस बोर्ड, विभिन्न प्रकाशन एवं विवरणिकाएं तथा क्यूआर कोड आधारित सूचना उपलब्ध कराता है।

*****